"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2009—भाद्र 9, शक 1931

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-5/2008/38-2.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 12 के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

अध्याय 1. प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :-** (क) ये विनियम " छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम , 2009 कहलाएंगे.

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(ग) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **कार्य क्षेत्र विस्तार का लागू होना :-** ये नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) भर्ती नियम, 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सचिव तथा सेवा के प्रत्येक कर्मचारियों पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं** :-इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, इस विनियमों की अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी ;

(ग) " आयोग " से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत स्थापित विनियामक आयोग ;

(घ) "उच्च शिक्षा " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष ;

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य ;

(छ) "सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव ;

(ज) "वर्ष " से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च);

(झ) "विद्यमान कर्मचारी" से अभिप्रेत है, आयोग का कर्मचारी जो इस विनियम के प्रभावशील होने की तारीख को आयोग की सेवा में है ;

(ञ) "नव-नियुक्त कर्मचारी" से अभिप्रेत है, इस विनियम के प्रावधानों के अधीन भर्ती किये गये कर्मचारी ;

(ट) "शब्द " तथा "अभिव्यक्तियों " के , जो इन विनियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है उनके वही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005, एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में नियत हैं ;

(ठ) "अनुसूची " से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न अनुसूची.

अध्याय 2. पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

4. **अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण** :- (क) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्गीकरण -अनुसूची-एक तथा दो में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे.

(ख) राज्य शासन से अनुमोदित होने की शर्त पर आयोग समय-समय पर अनुसूची-एक तथा दो में विनिर्दिष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, वृद्धि, कमी, समाप्ति या पुनः वर्गीकरण कर सकेगा.

(ग) आयोग, स्वयं द्वारा निर्धारित ऐसे मानदेय एवं अन्य शर्तों तथा स्थिति पर आयोग की सहायता हेतु सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर किसी भी उचित कालावधि के लिये भी कर सकेगा.

5. **पदों का भरा जाना** :-विनियमन-4 के खण्ड (क) का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि आयोग समस्त संवर्गों के पदों पर हर समय अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाएं लेने को बाध्य है.

अध्याय 3. नियोजन

6. **अधिकारियों/कर्मचारियों का नियोजन** :- (क) सेवा की आवश्यकता या पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए एक अधिकारी/ कर्मचारी को उसकी श्रेणी के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए, वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसे किसी अन्य समकक्ष पद पर नियोजित किया जा सकता है तथापि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को अन्य पद पर नियमित सेवा का अधिकार नहीं होगा. उसका धारणाधिकार मूल पद पर होगा.

(ख) किसी अधिकारी या कर्मचारी को यदि एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा.

अध्याय 4. भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. **नियुक्ति का तरीका :-** (क) आयोग के विद्यमान कर्मचारी इस विनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी माने जायेंगे.

(ख) नव-नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका निम्नानुसार होगा :-

(1) सीधी भर्ती से ;
(2) पदोन्नति से ;
(3) राज्य शासन/उच्च शिक्षा विभाग /राज्य शासन के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर, और
(4) संविदा पर.

(ग) अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती अनुसूची-2 के खण्ड (अ) और खण्ड (ब) में विनिर्दिष्ट तरीकों से की जावेगी.

(घ) आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी एवं पुनर्विचार प्राधिकारी, अनुसूची-3 में दर्शाये अनुसार होंगे.

(ङ) इस विनियम-2008 के प्रारंभ के पूर्व आयोग में कार्यरत कर्मचारियों/व्यक्तियों का पूर्ण विवरण अनुसूची-एक में दर्शाये अनुसार होगा.

(च) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव अनुसूची-चार में दर्शाये अनुसार होगी, तथापि, आयोग लिखित में कारण बताने के पश्चात् उपयुक्त प्रकरणों में पदों एवं व्यक्तियों के संबंध में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में छूट दे सकेगा.

(छ) आयोग द्वारा की गई समस्त नियुक्ति, चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच के अध्यधीन होगी जैसा की आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावे.

8. **चयन समिति का गठन :-** (क) अनुसूची-2 के खण्ड (अ) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम पर विचार तथा सिफारिश हेतु निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित की जायेगी-

(1) आयोग के अध्यक्ष इनके अध्यक्ष होंगे ;
(2) आयोग के सदस्य, और
(3) आयोग द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, और
(4) आयोग के वरिष्ठतम अधिकारी समिति के संयोजक होंगे.

(ख) अनुसूची-2 के खण्ड (ब) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम पर विचार तथा सिफारिश हेतु निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित की जायेगी-

(1) वरिष्ठतम सदस्य इनके अध्यक्ष होंगे ;
(2) सचिव, वरिष्ठतम अधिकारी, और
(3) सदस्य के रूप में उप-संचालक ;
(4) अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप-संचालक अथवा कोई भी अन्य अधिकारी समिति के संयोजक होंगे.

(ग) (1) चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी एवं छः माह की कालावधि के लिए या उस दीर्घ अवधि हेतु जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित हो, वैध होंगी.
(2) उपयुक्त प्रकरणों में समिति किसी पद के लिए स्वीकृत वेतन से उच्चतर वेतन या उस पद के वेतनमान के उच्चतर स्तर की अनुशंसा समिति को विचार हेतु कर सकती है.

(घ) आयोग, चयन समिति द्वारा अनुसरण के लिए कार्य पद्धति विनिश्चित कर सकता है.

9. **आयु सीमा :-** कनिष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, शीघ्रलेखक ग्रेड-3, लेखापाल, डाटा एन्ट्री ऑफरेटर, स्टेनोटायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक, भृत्य और समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा राज्य शासन में लागू नियमानुसार होगी. दूसरे पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा आयोग द्वारा पदों के लिये आवश्यक वृत्तिक अनुभव के वर्षों को देखते हुए तय की जा सकेगी.

10. **आवेदन** -सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित की जावेगी और नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जा सकते हैं या रोजगार कार्यालय से पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त किये जा सकते हैं.

11. **प्रमाण-पत्र**- आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

(क) अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र,

(ख) प्रथम नियुक्ति के मामले में उस शैक्षणिक संस्था जहां अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस संबंधित शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम जहां पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण-पत्र ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में राज्य शासन के नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र.

12. **आवेदन की प्रक्रिया**-जांच उपरान्त आयोग सभी वैध आवेदनों पर विचार करेगा तथा छटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगा. इस भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा.

13. **अभ्यर्थियों का चयन**-चयन समिति योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिश करेगी.

14. **नियुक्तियां**-(क) चयन समिति द्वारा योग्यता क्रम में सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियां की जावेगी ;

(ख) नियुक्ति हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को, जो पहले शासकीय/शासकीय उपक्रम में कार्यरत न हो, आयोग द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित स्वस्थता प्रमाण-पत्र और उल्लिखित चरित्र प्रमाणीकरण कंडिका 7 (च) के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा.

15. **परिवीक्षा** - (क) सभी विद्यमान कर्मचारी एवं सीधी भर्ती परिवीक्षा के अधार पर उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी.

(ख) परिवीक्षा की समयावधि में, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश व चिकित्सा अवकाश की पात्रता राज्य शासन की समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लागू ऐसे प्रावधानों के अनुरूप रहेगी. तथापि, परिवीक्षा अवधि में सेवा के दौरान अनाधिकृत अनुपस्थिति परिवीक्षा की समयावधि में शामिल नहीं होगी.

(ग) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया है, तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में बढ़ा सकेगा. यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी.

(घ) परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवायें में हैं, आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है.

(ङ) यदि आयोग में शासकीय या सार्वजनिक उपक्रम से किसी व्यक्ति को नियुक्ति हेतु चयनित किया जाता है तो वह व्यक्ति आयोग की सेवा में स्थायी होने तक पूर्व नियोक्ता में अपना धारणाधिकार रख सकेगा.

16. **रिक्तियों का आरक्षण** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित छूट अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं इत्यादि राज्य शासन द्वारा नियम एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार होंगे एवं इन विनियमनों से प्रभावित नहीं होंगे.

17. **प्रशिक्षण** -(क) सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ऐसे आंतरिक एवं/या बाह्य रूप में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों या उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा जो कि आयोग द्वारा विहित किये जाएं .

(ख) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसी निर्धारित अवधि की सेवा के लिए आयोग से अनुबंध करना होगा जो कि प्रत्येक एक माह के प्रशिक्षण हेतु बारह माह तक की अवधि से अधिक नहीं होगी. यह अनुबंध अवधि, प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष तक की होगी.

18. **पदोन्नति** - (क) पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं पदोन्नति का क्रम अनुसूची-पांच में दर्शाये अनुसार होगी.

(ख) सभी पदोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी. पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों का चयन उसी चयन समिति के द्वारा किया जावेगा जिसका गठन इस विनियम की कंडिका 8 में सीधी भर्ती हेतु किया गया है.

19. **सेवानिवृत्ति** - अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे.

20. आयोग अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर सकता है. दैनिक वेतन पर कार्यरत या अन्य तरीके से कार्यरत कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाते हैं तो आयोग उन्हें संविदा पर भी नियुक्त करने पर विचार कर सकेगा.

21. किसी अधिकारी या कर्मचारी की संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आयोग निर्धारित करेगा जो कि सामान्यत: आयोग के नियमानुसार होगा.

अध्याय 5. पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

22. **वेतनमान** - (क) अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान अनुसूची-एक तथा दो में दर्शाये अनुसार होगा. भृत्य, वाहन चालक एवं इसी श्रेणी के अन्य व्यक्ति जो दैनिक वेतन पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें रायपुर जिले के कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे.

(ग) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का पुनर्निर्धारण राज्य शासन के अधीन उसी वेतनवर्ग/वेतनमान के अनुसार होगा.

(घ) आयोग में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित गृह भाड़ा, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता इत्यादि प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(ङ) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसी अग्रिम प्राप्त करना अनुज्ञेय होगा जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएं.

(च) राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों/शासन के स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति भत्तों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जावेगा.

(छ) इस विनियम के प्रावधानों के अध्यधीन नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत आयोग उनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रोजगार उपलब्ध करायेगा.

23. **सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकी लाभ** - (क) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(ख) छत्तीसगढ़ शासन/ सार्वजनिक उपक्रमों से आयोग में संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त उप कंडिका-(क) के प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्ति पर प्रदान किये जाने वाले लाभ की गणना, उनके पूर्व सेवाकाल हेतु पूर्व नियोक्ता की सहमति से निर्धारित अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखकर किया जावेगा.

अध्याय 6. विविध

24. **शिथिलीकरण की शक्ति** - आयोग, जनहित में एवं आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए, इन विनियमों के प्रावधानों में शिथिलीकरण कर सकेगा, समुचित मामलों में पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता मानदंड का शिथिलीकरण भी शामिल होगा.

25. **निर्वचन** - यदि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के निर्वचन या प्रयोज्यता के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो वह आयोग द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा और आयोग का विनिश्चिय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा. विनियमों को लागू करने की कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति आयोग के पास होगी.

26. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का लागू होना.

(क) इस विनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्रावधान समय-समय पर यथा संशोधित यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

अनुसूची-एक

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के विद्यमान कर्मचारियों का प्रवर्ग, संख्या एवं वेतनमान

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रवर्ग छत्तीसगढ़ शासन के वर्गीकरण के अनुसार	वेतनमान (रु. में)	पद की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I (हिन्दी)	01	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500	संविदा आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I (अंग्रेजी)	01	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500	तदैव
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी)	01	तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	नियमित
4.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	नियमित
5.	भृत्य	01	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	नियमित
6.	फर्राश	01	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	नियमित

अनुसूची-दो

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रवर्ग एवं संख्या

खण्ड-अ

अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रवर्ग छत्तीसगढ़ शासन के वर्गीकरण के अनुसार	वेतनमान (रु. में)	भर्ती का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सचिव	01	प्रथम श्रेणी	14600-400-18300	सीधी भर्ती/संविदा/ प्रतिनियुक्ति
2.	उप संचालक	01	तदैव	12000-420-18300	तदैव
3.	लेखा अधिकारी	01	तदैव	10000-325-15200	तदैव
4.	प्रोग्रामर	01	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500	तदैव

खण्ड-ब

कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रवर्ग	वेतनमान (रु. में)	भर्ती का आधार
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I (हिन्दी)	01	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I (अंग्रेजी)	01	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति
3.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000	सीधी भर्ती
4.	सहायक प्रोग्रामर	01	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000	सीधी भर्ती
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III (अंग्रेजी)	01	तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	सीधी भर्ती
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी)	01	तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	सीधी भर्ती
7.	लेखापाल वर्ग-I	01	तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
8.	सहायक ग्रेड-II	01	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
9.	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	सीधी भर्ती
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	सीधी भर्ती
11.	स्टेनो टायपिस्ट	01	तृतीय श्रेणी	3500-80-4700-100-5200	सीधी भर्ती
12.	सहायक ग्रेड-III	03	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590	सीधी भर्ती
13.	वाहन चालक ग्रेड-II	02	तृतीय श्रेणी	2610-60-3150-65-3540	सीधी भर्ती
14.	भृत्य	04	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	सीधी भर्ती
15.	फर्राश	01	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	सीधी भर्ती

अनुसूची-तीन

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

स. क्र.	विवरण	परिशिष्ट-दो के खण्ड अ में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ट-1 एवं 2 के खण्ड ब में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
2.	अनुशासनिक प्राधिकारी	अध्यक्ष	सचिव
3.	अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
4.	समीक्षा प्राधिकारी	-	आयोग

अनुसूची-चार

सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यता एवं अनुभव	वांछनीय अतिरिक्त योग्यता/अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सचिव	शासन द्वारा विहित	शासन द्वारा विहित
2.	उप संचालक	तदैव	तदैव
3.	लेखा अधिकारी	तदैव	तदैव
4.	प्रोग्रामर	तदैव	तदैव
5.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	(क) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. (ख) लेखा संधारण कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव.	(क) कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव. (ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.
6.	सहायक प्रोग्रामर	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. (ख) मान्यता प्राप्त संस्था से पी. जी. डी. सी. ए./एच. डी. सी. ए.	(क) टायपिंग का अच्छा ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी. (ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.
7.	शीघ्र लेखक ग्रेड-III (हिन्दी)	(क) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण. (ख) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण. (ग) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट के साथ परीक्षा उत्तीर्ण.	(क) कम्प्यूटर में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी. (ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.
8.	लेखापाल	(क) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. (ख) लेखा संधारण कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव.	(क) कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव. (ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	(क) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण. (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा (डी. सी. ए./एच. डी. सी. ए.) (ग) कम्प्यूटर में काम करने का तीन वर्ष का अनुभव.	(क) टायपिंग का अच्छा ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी. (ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.
10.	स्टेनो टायपिस्ट	(क) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट हिन्दी/अंग्रेजी में अनुभव. (ग) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से मुद्रलेखन हिन्दी/अंग्रेजी में परीक्षा उत्तीर्ण.	(क) कम्प्यूटर में डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी. (ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	सहायक ग्रेड-III	(क) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण.	(क) कम्प्यूटर में डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी.
		(ख) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से मुद्रलेखन हिन्दी/अंग्रेजी में परीक्षा उत्तीर्ण.	(ख) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता.
12.	वाहन चालक ग्रेड-II	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से आठवीं उत्तीर्ण.	
		(ख) हल्के वाहन चलाने का पांच साल पुराना ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए.	
		(ग) वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव	
13.	भृत्य	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम पांचवीं उत्तीर्ण.	
		(ख) संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव.	
14.	फर्राश	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से पांचवीं उत्तीर्ण.	
		(ख) संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव.	

अनुसूची-पांच

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद एवं पदोन्नति का क्रम

स. क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रोग्रामर	सहायक प्रोग्रामर	05 वर्ष
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	05 वर्ष
3.	लेखापाल वर्ग-I	लेखापाल	05 वर्ष
4.	सहायक प्रोग्रामर	डाटा एन्ट्री आपरेटर	05 वर्ष
5.	सहायक ग्रेड-II	सहायक ग्रेड-III	05 वर्ष

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2009

क्रमांक एफ-1-5/2008/38-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2008/38-दो, का अंग्रेजी अनुवाद महामहिम राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

Raipur, the 29th August 2009

NOTIFICATION

No. F-1-5/2008/38-2.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Rule 12 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, the State Government hereby makes the following Regulation for Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission , namely :-

REGULATION

CHAPTER – 1 : PRELIMINARY

1. **Short Title and Commencement :-** (a) These Regulations may be called the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (Recruitment and conditions of service of officers and employ ees) Regulations, 2009 ;

   (b) It extends to the whole the State of Chhattisgarh ;

   (c) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. **Scope of Application :-** Without prejudice to generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Recruitment Rules, 1961, these rules shall apply Secretary and every employees of Service.

3. **Definitions :-** In these regulations, unless the context otherwise requires :-

   (a) "Act " means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 ;

   (b) " Appointing Authority " means the Appointing Authority as specified in Schedule – III to these regulations ;

   (c) " Commission " means the Regulatory Commission established under Section 36 of the Act ;
   (d) " Higher Education " means the Higher Education Department of the State of Chhattisgarh ;

   (e) " Chairman " means the Chairman of the Commission ;

   (f) " Member " means the Member of the Commission ;

   (g) " Secretary " means the Secretary of the Commission ;

   (h) " Year " means financial year (1st April to 31st March) ;

(i) " Existing Employee " means an employee of the Commission who is in the service of the Commission on the date of enforcement of this Regulation ;

(j) " Fresh Employee " means an employee recruited under the provisions of this Regulation ;

(k) " Words" and " Expressions " used but not defined in the Regulation shall carry the meaning as have been assigned to them in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 and the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Opera tion) Rules, 2005 ;

(l) " Schedule " means the Schedule appended to these Regulation.

CHAPTER – II : CATEGORISATION AND NUMBER OF POSTS

4. **Categorization and strength of Officers and Employees :-** (a) The number, and categories of officers and employees of the Commission shall be as specified in Schedule - I and II ;

(b) Subject to the approval of the State Government, the Commission may from time to time, change, increase, reduce, abolish, or re-categorize the officers and employees specified in Schedule 1 and II ;

(c) The Commission may also appoint on contract basis, for any suitable period, Advisors and avail of the services of Consultants, to assist the Commission, on such remuneration and other terms and conditions as may be decided by the Commission.

5. **Filling up of the posts :-** Nothing in sub-clause (a) of regulation 4 shall be construed as requiring the Commission to have the officers/employees serving in all the categories of posts at all times.

CHAPTER – III : PLACEMENT

6. **Placement of Officers/Employees :-** (a) Subject to exigencies of service or availability of posts, an officer/employee may be placed in any post other than the post to which he has been appointed, depending on his qualification and suitability corresponding to his grade. However, the concerned officer/ employee shall have no right of regular service on that, i.e. the other post. He will have lien on the original post ;

(b) Any officer or employee may be required to hold more than one post for which no extra remuneration may be paid.

CHAPTER – IV

RECRUITMENT AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE

7. **Mode of Appointment :-** (a) The existing employees of the Commission will be deemed to have been appointed under the provisions of this Regulation ;

(b) The mode of appointment of fresh officer/ employee will be as follows :-

(i) Direct recruitment ;
(ii) Promotion ;
(iii) Deputation from he State Government/ Higher Education Department / Govt. undertakings, and
(iv) Contract

(c) The method of recruitment of officers and employees shall be as specified in Part – A and Part – B of Schedule -II.

(d) The appointing authority, disciplinary authority, appellate authority and reviewing authority in respect of officers and employees of the Commission, shall be as specified in Schedule – III.

(e) The complete details of existing employees / persons employed by the Commission prior to commencement of this regulation 2009, are specified in Schedule – I.

(f) The qualification and experience required for various posts shall be as prescribed in Schedule - IV. However, the Commission after recording reasons in writing, may relax the eligibility criteria for appointment, in respect of posts and persons, in appropriate cases.

(g) All appointment shall be subject to verification of character and antecedents as may be decided by the Commission from time to time.

8. **Constitution of Selection Committee :-** (a) There shall be a Selection Committee to consider and recommend candidates for appointment by direct recruitment to the posts mentioned in Part – A of Schedule – II , consisting of the following :-

(i) Chairman of the Commission as its Chairman ;
(ii) Member of the Commission, and
(iii) One or more experts / specialists of the subjects to be nominated by the Commission as members; and
(iv) Senior most officer of the Commission will be the Convenor of the Committee.

(b) There shall be a Selection Committee to consider and recommend candidates for appointment by direct recruitment to the posts mentioned in Part – B of Schedule – II which shall consist of the following :-

(i) Senor most Member as its Chairman ;
(ii) Secretary / Sr. Most Officer, and
(iii) Dy. Director as Member;
(iv) Dy. Director or any other officer nominated by the Chairman will be the convenor of the Committee.

(c) (i) The recommendation of the Selection Committee shall be final and remain valid for a period of 6 months or for a longer period as may be decided by the Commission.

(ii) The Committee may in suitable cases recommend higher pay than the pay which a post carries or at a higher stage in the pay scale of the post for consideration of the Committee.

(d) The Commission may lay down the procedure to be followed by the Selection Committee.

9. **Age Limit :-** The age limit for direct recruitment to the posts of Jr. Accounts Officer, Assistant Programmer, Stenographer Grade – III, Accountant, Data Entry Operator, Steno Typist, Assistant Grade – III, Driver, Peon and similar categories of employees shall be as per the prevailing rules of the State Government. The age limit for other posts to be filled by direct recruitment may be decided by the Commission keeping in view the years of professional experience required for the post.

10. **Application :-** The Commission may decide the number of vacancies to be filled by direct appointment and may invite applications from candidates eligible for appointment through advertisement in news papers or call for names of eligible candidates from Employment Exchange.

11. **Certificates :-** The candidates for direct recruitment to any post in the Commission shall submit application alongwith the following documents :-

(a) The evidence of possessing the requisite educational qualification and experience.

(b) Certificate of character and conduct from the educational institution last attended in case of first appointment or from the concerned Government / Public Sector Undertaking if he has served in these ;

(c) Certificate from the competent authority as per the rules of the State Government, in case of candidates belonging to S.C., S.T., O.B.C., or any other reserved category.

12. **Processing of Application :-** After scrutiny, the Commission shall consider all the valid applications and shall interview the short-listed candidates. The number of candidates to be called for interview may be decided taking into account the number of vacancies for which recruitment is being made.

13. **Selection of Candidates :-** The Selection Committee shall recommend the candidates in order of merit to the appointing authority.

14. **Appointment :-** (a) All appointments shall be made on the basis of merit, as recommended by the Selection Committee ;

(b) Every candidate selected for appointment, having not been in the service of Government / Govt. undertaking, shall be appointed subject to their medical fitness to be certified by a Medical Board as may be appointed by the Commission and character verification as per clause 7(f) mentioned above.

15. **Probation :-** (a) All existing employees and direct recruits shall be on probation for a period of two years from the date of their appointment.

(b) During the period of probation, the officers and employees shall be entitled for earned leave, extra-ordinary leave and medical leave at par with such provisions applicable to the officers and employees of the State Government of equivalent rank. However, the period of unautho rized absence during the service shall not be included in the probation period.

(c) If a direct recruit has not completed his period of probation to the satisfaction of the Commission, the Commission may extend the period of probation upto a maximum period of one year in one or more installments. If the performance, during the extended period also, is not found to be up to the mark, his services shall be liable for termination.

(d) The Commission may dispense with the services of a probationer after one month's notice.

(e) If a person serving in the Government or in a Public Sector Undertaking is selected for appointment in the Commission, he may be allowed to keep his lien on the post held just before joining, till confirmation in the Commission.

16. **Reservation of Vacancy :-** Nothing these regulations shall affect the reservation of posts and relax ations in age limit, qualifications etc. required to be provided for candidates belonging to S.C., S.T., O.B.C, or minority / other categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the State Government from time to time in this regard.

17. **Training :-** (a) All officers and employees may be required to undergo such training or orientation course conducted in-house and/ or outside, as may be prescribed by the Commission.

(b) Officers/ employees required to undergo training/orientation may be required to execute a bond to serve the Commission for such period as may be prescribed which shall not exceed 12 months for every one month of training subject to a maximum period of two years, after completing the training or course.

18. **Promotion :-** (a) The posts which may be filled by promotion and the channel of promotion is as given in Schedule – V ;

(b) All promotions shall be on the basis of merit assessed generally from performance as reflected in the confidential reports of the last five years. Selection of candidates for promotion shall be made by the same Selection Committee as constituted in clause 8 of these regulations for the selection of direct recruits.

19. **Retirement :-** Officers/ employees shall retire from the service of the Commission on attaining the age of superannuation in accordance with the prevailing rules of the State Government.

20. The Commission may also engage persons on contract or on daily wages as and when considered necessary on the terms and conditions prescribed by the Commission from time to time. The per sons engaged on daily wages or any other manner may be considered for appointment on contract basis, if found suitable.

21. The Commission may specify the conditions of service of an officer or an employee appointed on contract or deputation, which will be generally as per the rules of the Commission.

CHAPTER – V : REMUNERATION AND OTHER BENEFITS

22. **Scale of pay :-** (a) The pay scales of the Officers/ employees shall be as given in Schedule I and II. For the posts of Peon, Driver and other similar categories, persons engaged on daily wages shall be paid at the rate fixed by the Collector of Raipur district from time to time.

(b) Remuneration and other allowances in respect of persons engaged on contract shall be as decided by the Commission.

(c) The pay of officers and employees of the Commission may be revised at par with officers/ employees of corresponding grade/ scale under the State Government.

(d) The Officers / employees of Commission borne on regular establishment shall be entitled to such allowance including HRA, CCA, conveyance and medical allowances etc. as may be decided by the Commission from time to time.

(e) Officers/ employees shall be eligible to receive such interest/non-interest bearing advances admissible to officers/employees of the State Government as may be decided by the Commission.

(f) The deputation allowance of officers/ employees taken on deputation by the Commission from State Government / Public Sector Undertaking / Autonomous Bodies of the Government, may be as decided by the Commission.

(g) In the event of death of an Officer / employee appointed under the provisions of this Regu lation, the Commission will provide employment to his dependent on compassionate ground.

23. **Retirement / Superannuation Benefits :-** (a) Officers / employees of the Commission shall be entitled to such retirement /superannuation benefits as may be decided by the Commission.

(b) For the officers/ employees absorbed in the Commission from the Government of Chhattisgarh /Public Sector Undertakings, the pensionary services rendered in the Government/Public Sec tor Undertakings prior to joining the Commission shall be taken into account for the purpose of sub-clause (a) above, provided that the Government/Organization, where the officer/employee was previously employed is willing to bear the proportionate pensionary liabilities for the period of service in the Government/ Organisation.

CHAPTER - VI : MISCELLANEOUS

24. **Power of relaxation :-** The Commission may, in the public interest and after recording reasons in writing, relax the provisions of these regulations, including the eligibility criteria for appointments to posts, in appropriate cases.

25. **Interpretation :-** If any question arises as to the application or interpretation of any of the provisions of this regulation, the same shall be decided by the Commission and the decision of the Commission shall be final and binding. The Commission shall have power to remove difficulties in implementing the regulations.

26. **Applicability of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966 and Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961.**

    (a) Subject to the provisions of this Regulation, the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1966, Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965 and Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, as amended from time to time, shall be applicable, mutatis mutandis, to t he officers and employees of the Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. S. DIXIT, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I

CATEGORIES, STRENGTH AND PAY SCALE OF EXISTING EMPLOYEES OF THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Category as per Government of Chhattisgarh Classification	Pay Scale (in Rs.)	Position of Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer, Grade I (Hindi)	01	Class - III	6500-200-10500	Retired employee appointed on contract basis
2.	Stenographer, Grade 1 (English)	01	Class - III	6500-200-10500	-do-
3.	Stenographer, Grade 3 (Hindi)	01	Class - III	4500-125-7000	Regular
4.	Data Entry Operator	01	Class - III	4000-100-6000	Regular
5.	Peon	01	Class - IV	2500-55-2660-60-3200	Regular
6.	Sweeper	01	Class - IV	2500-55-2660-60-3200	Regular

SCHEDULE – II

CATEGORIES, AND STRENGTH OF OFFICERS / EMPLOYEES IN THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION

PART – A

METHOD OF RECRUITMENT & PAY SCALES OF OFFICERS

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Category as per Government of Chhattisgarh Classification	Pay Scale (in Rs.)	Source of Recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Secretary	01	Class - I	14600-400-18300	Direct recruitment/ Contract /Deputation
2.	Dy. Director	01	-do-	12000-420-18300	-do-
3.	Accounts Officer	01	-do-	10000-325-15200	-do-
4.	Programmer	01	Class - II	8000-275-13500	-do-

PART – B

METHOD OF RECRUITMENT & PAY SCALES OF EMPLOYEES

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Category	Pay Scale (in Rs.)	Source of Recruitment
1.	Stenographer,Grade –1 (Hindi)	01	Class -III	6500-200-10500	Promotion/Deputation
2.	Stenographer,Grade –1 (English)	01	Class -III	6500-200-10500	Promotion/Deputation
3.	Jr. Accounts Officer	01	Class -III	5000-150-8000	Direct recruitment
4.	Assistant Programmer	01	Class -III	5000-150-8000	Direct recruitment
5,	Stenographer,Grade –III (English)	01	Class-III	4500-125-7000	Direct recruitment
6.	Stenographer,Grade –III (Hindi)	01	Class-III	4500-125-7000	Direct recruitment
7.	Accountant,Grade -I	01	Class -III	4500-125-7000	Promotion/Deputation
8.	Assistant, Grade - II	01	Class -III	4000-100-6000	Promotion/Deputation
9.	Accountant	01	Class -III	4000-100-6000	Direct recruitment
10.	Data Entry Operator	02	Class-III	4000-100-6000	Direct recruitment
11.	Steno Typist	01	Class-III	3500-80-4700-100-5200	Direct recruitment
12.	Assistant, Grade -III	03	Class-III	3050-75-3950-80-4590	Direct recruitment
13.	Driver, Grade -II	02	Class-III	2610-60-3150-65-3540	Direct recruitment
14.	Peon	04	Class-IV	2550-55-2660-60-3200	Direct recruitment
15.	Sweeper	01	Class-IV	2550-55-2660-60-3200	Direct recruitment

SCHEDULE - III

APPOINTING AUTHORITY, DISCIPLINARY AUTHORITY, APPELLATE AUTHORITY AND REVIEWING AUTHORITY FOR OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION.

Sl.No. (1)	Particulars (2)	For Officers included in Part – A of Annexure –II (3)	For employees included in Part –B of Annexures 1 and 2 (4)
1.	Appointing Authority	Commission	Chairman
2.	Disciplinary Authority	Chairman	Secretary
3.	Appellate Authority	Commission	Chairman
4.	Reviewing Authority		Commission

SCHEDULE – IV

QUALIFICATION AND EXPERIENCE FOR DIRECT RECRUITMENT POST

Sl. No. (1)	Name of Post (2)	Minimum required qualification and experience (3)	Additional qualification/experience desirable (4)
1.	Secretary	As prescribed by the Government	As prescribed by the Government
2.	Dy. Director	-do-	-do-
3.	Accounts Officer	-do-	-do-
4.	Programmer	-do-	-do-
5.	Jr. Accounts Officer	(a) Graduate from a recognized University on any subject	(a) Experience of working on Computer
		(b) 4 Years professional experience in accounting.	(b) Good communication skill
6.	Assistant Programmer	(a) Graduate from a recognized University	(a) Preference will be given to candidates knowing typing
		(b) PGDC / HDCA from recognized Institute	(b) Good communication skill
7.	Stenographer Grade III (Hindi)	(a) 10+2 Pass from any recognized Board.	(a) Preference will be given to candidates knowing computer operation
		(b) Pass Shorthand Examination with 100 words per minute from any recognized Board.	(b) Good communication skill
		(c) Pass Typing Examination with 25 words per minute from any recognized Board	
8.	Accountant	(a) Graduate from a recognized University on any subject.	(a) Experience of working on Computer.
		(b) 2 Years professional experience in accounting.	(b) Good communication skill
9.	Data Entry Operator	(a) 10+2 Pass from any recognized Board.	(a) Preference will be given to candidates knowing typing.
		(b) One Year Diploma in Computer (DCA/ HDCA) from any recognized institute.	(b) Good communication skill
		(c) 3 Years Working experience on Computer	
10.	Steno typist	(a) 10+2 Pass from any recognized Board	(a) Preference will be given to candidates knowing computer operation.
		(b) Speed in English/Hindi Shorthand at least 60 words per minute from any recognized Board.	(b) Good communication skill
		(c) Pass Typing Examination in English/Hindi with 25 words per minute from any recognized Board.	

(1)	(2)		(3)		(4)
11.	Asstt. Grade III	(a)	10+2 Pass from any recognized Board	(a)	Preference will be given to candidates knowing computer operation.
		(b)	Pass Typing Examination in English/Hindi with 25 words per minute from any recognized Board.	(b)	Good communication skill
12.	Driver, Grade II	(a)	8th Pass from any recognized Board		
		(b)	Should hold Driving Licence for light motor vehicle		
		(c)	2 Years Driving experience		
13.	Peon	(a)	5th Pass from any recognized Board		
		(b)	2 Years experience in relevant trade		
14.	Sweeper	(a)	5th Pass from any recognized Board		
		(b)	2 Years experience in relevant trade		

SCHEDULE – V

POSTS WHICH MAY BE FILLED BY PROMOTION AND CHANNEL OF PROMOTION

Sl.No. (1)	Promotion Post (2)	Post from which promotion to be made (3)	Eligibility (4)
1.	Programmer	Assistant Programmer	5 Years
2.	Stenographer, Grade I	Stenographer, Grade III	5 Years
3.	Accountant,Grade I	Accountant	5 Years
4.	Asst. Programmer	Data Entry Operator	5 Years
5.	Assistant,Grade II	Assistant,Grade III	5 Years

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.